तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/8/25	वकील प्रार्थी उप. प्रकरण सं. 393/25 अनिल कुमार सिंह vs सरकार मे आदेश दि. 19/8/25 की अनुपालना मे श्रम प्रा० पत्र के साथ समेकित कर बहस प्रा० पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि 21/8/25 को पेश हो।
	Sd/-
21/8/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थीगण की समेकित पत्रावलियों एवं समेकित तह. रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पहुंच मार्ग राजस्व रेकार्ड मे नही होने एवं प्रस्तावित मार्ग न्यूनतम होने से प्रा० पत्र u/s 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायोचित होता है। अत: प्रा. पत्र प्रार्थी एवं समेकित प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. मि. किया गया। निर्णय की एक सत्यापित प्रति समेकित प्रा. पत्र मे संलग्न हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
	Sd/-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
391/प्रा0पत्र/2025	12.06.2025	29.08.2025

विष्णुकांता सिंह पत्नी अनिल कुमार सिंह जाति राजपुत म0नं0 एचई–368 कोलोनी हनुमान नगर एक्सटेंशन, सिरसी रोड वैशाली नगर, ए.सी. जोबनेर जयपुर

प्रार्थिया

बनाम

राज. राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी

अप्रार्थी

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
393/प्रा0पत्र/2025	12.06.2025	29.08.2025

अनिल कुमार सिंह पुत्र शम्भू सिंह जाति राजपुत म.नं. एचई–368 कोलोनी हनुमान नगर एक्सटेंशन, सिरसी रोड वैशाली नगर, ए.सी. जोबनेर जयपुर

प्रार्थिया

बनाम

राज. राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थिया व प्रार्थी :– श्री नन्दसिंह सौलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थिया को स्वयं की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0स0 1178/520 रकबा 0.7252 हैक्टे. वाके ग्राम पीपल्दा हाडो का तह0 तालेडा में विस्थित है पर आने जाने हेतु 30 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है उक्त 30 फीट चौडा मार्ग सिवायचक कृषि भूमि ख0सं0 518 रकबा 0.5666 है0 जो वाके ग्राम पीपल्दा हाडो का में स्थित है से गुजरेगा। अतः मै. राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 की उपधारा(2) के अधीन अनुज्ञा हेतु आवेदन करती हूँ।

समेकित वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0स0 1179/520 रकबा 0.7252 हैक्टे. वाके ग्राम पीपल्दा हाडो का तह0 तालेडा में विस्थित है पर आने जाने हेतु 30 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है उक्त 30 फीट चौडा मार्ग सिवायचक कृषि भूमि ख0सं0 518 रकबा 0.5666 है0 जो वाके ग्राम पीपल्दा हाडो का में स्थित है से गुजरेगा। अतः मै. राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 की उपधारा(2) के अधीन अनुज्ञा हेतु आवेदन करता हूँ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 2805 दिनांक 08.07.2025 से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 391/प्रा०पत्र/2025 बउनवान विष्णुकान्ता सिह बनाम सरकार एवं प्रकरण संख्या 393/प्रा०पत्र/2025 बउनवान अनिल कुमार सिंह बनाम सरकार अंतर्गत धारा 251 क आरटी एक्ट के सम्बन्ध में समेकित रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया कि आवेदक अनिल कुमार सिंह वाके ग्राम पिपल्दा हाड़ों की आराजी खसरा स० 1179/520 रकबा 0.7252 है० भूमि का खातेदार दर्ज रेकार्ड है तथा आवेदक विष्णुकान्ता सिंह पत्नि अनिल कुमार सिह वाके ग्राम पिपल्दा हाडों का के आराजी खसरा संख्या 1178/520 रकबा 0.7252 है० भूमि का खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त दोनो खसरा नम्बर एक दूसरे के लगवा स्थित है। उपरोक्त दोनों खेतों में पहुँचने के लिए मुताबिक राजस्व रेकार्ड आराजी खसरा स० 517 रकबा 0.1214 किस्म गे०मु०रास्ता एवं उपरोक्त दोनों खातेदारी भूमि के मध्य आराजी खसरा स० 518 रकबा 0.5666 है० किस्म बंजड सिवायचक भूमि दर्ज रेकार्ड है । सिवायचक भूमि में से होकर जाने के अलावा उपरोक्त दोनों खातेदारान के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसके कारण उपरोक्त दोनों खातेदार (आवेदक) सिवायचक भूमि

Scanned with OKEN Scanner

आराजी ख०स० 518 रकबा 0.5666 भूमि में से अपनी खातेदारी भूमि पर पहुँचने के लिए 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहते है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित किया गया मार्ग पहुँच हेतु न्यूनतम है। उक्त रास्ते हेतु सिवायचक भूमि आराजी ख०स० 518 रकबा 0.5666 भूमि में से कुल 3060 वर्गफिट भूमि गै0मु0 रास्ते के नाम दर्ज होगी। जिसकी ख0सं0 1179/520 के सामने औसत लम्बाई 72 फिट व चौडाई 30 फिट तथा ख0सं0 1178/520 के सामने औसत लम्बाई 30 फिट व चौडाई 30 फिट की होगी, अर्थात कुल भूमि हैक्टेयर में 0.02992 हैक्टे0 होगी।

समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर उक्त दोनो प्रकरणो को समेकित कर एक ही रास्ता दर्ज रेकार्ड करने बाबत प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण सं0 391/2025 के साथ प्रकरण सं0 393/2025 को समेकित किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दोनो प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि पर रेकार्ड में रास्ता नहीं होने एवं कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं उपकरण इत्यादि की पहुंच हेतु रास्ता लिया जाना महती आवश्यकता है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमियो पर पहुँच हेतु नियमानुसार तहसीलदार तालेड़ा को रास्ता सृजन करने के लिए आदेश फरमावें।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जिस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन अंकित कर रास्ता चाहा गया है उसे दिया जाना न्यायोचित है रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अन्य कोई रास्ता पहुंच हेतु नही होने से रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जो कि अधिकतम 30 फीट चौडाई का दिया जाना उचित होगा।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थीगण की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव प्रकट है एवं प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है, दोनो पक्षकारान् की भूमि समीपस्थ होने से एक ही रास्ते से दोनो अपनी–अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच सकते है अतः दोनो पक्षकारान् को एक ही रास्ता दिया जाना औचित्यपूर्ण तथा नियमान्तर्गत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि आवेदक अनिल कुमार सिंह वाके ग्राम पिपल्दा हाड़ों की आराजी खसरा स० 1179/520 रकबा 0.7252 है० भूमि का खातेदार दर्ज रेकार्ड है तथा आवेदक विष्णुकान्ता सिंह पत्नि अनिल कुमार सिह वाके ग्राम पिपल्दा हाडों का के आराजी खसरा संख्या 1178/520 रकबा 0.7252 है० वाके ग्राम पीपल्दा हाडो का पटवार हल्का लीलेडा व्यासान तहसील तालेडा में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए खातेदार राजस्थान सरकार की सिवायचक आराजी ख0सं0 518 रकबा 0.5666 हैक्टे. वाके ग्राम पीपल्दा हाडो का पटवार हल्का लीलेडा व्यासान में से ख0सं0 1179/520 के सामने औसत लम्बाई 72 फिट व चौडाई 30 फिट तथा ख0सं0 1178/520 के सामने औसत लम्बाई 30 फिट व चौडाई 30 फिट की होगी, अर्थात कुल भूमि हैक्टेयर में 0.02992 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शानुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में ''गै0 मु0 रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जाये तथा रास्ता का सीमांकन एवं तरमीम किया जाये। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थीगण से कुल देय राशि (रास्ते में प्रयुक्त भूमि 0.02992 हैक्टे0 का वर्तमान डीएलसी दर का दुगुना) राजकोष में जमा किया जावे, तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थी रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेड़ा एवं प्रार्थी को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

Scanned with OKEN Scanner